



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122022-240992
CG-DL-E-12122022-240992

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5562]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/ अग्रहायण 21, 1944

No. 5562]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5798(अ).—सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3054(अ), दिनांक 5 जुलाई 2022 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के निज़ामाबाद जिले में कि.मी. 4/4 के निज़ामाबाद-जगदलपुर सेक्शन पर, NH-63 के कि.मी. 3.610 से कि.मी. 4.800 (आरडीओ-निज़ामाबाद) तक के भू-खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24 अगस्त 2022" को "नमस्ते तेलंगाना"(तेलुगु) और "द हिन्दू"(अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के निज़ामाबाद जिले में कि.मी. 4/4 के निज़ामाबाद-जगदलपुर सेक्शन पर, NH-63 के कि.मी. 3.610 से कि.मी. 4.800 तक(आरडीओ-निज़ामाबाद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: निज़ामाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मकलूर				
	गांव का नाम: बोरगॉन (क)				
1	632	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0025293	रोड ()
2	632	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0025293	एस आर गंगाधर ()
3	632	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0050585	एर्रम गंगाधर ()
4	633	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0050585	एस आर गंगाधर ()
5	633	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0151757	रोड ()
6	633	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0075879	नरेन्दर रेड्डी ()
7	633	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0025293	श्याम राव ()
8	690	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0126464	रोड ()
9	690	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0151757	वेंकट रेड्डी ()

			भूमि)		
10	690	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0151757	अशोक गौड़ ()
11	690	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0075879	नरेन्द्र रेड्डी ()
12	691	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0151757	रोड ()
13	691	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.0556443	वेंकट रेड्डी ()
14	692	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0050586	रोड ()
15	692	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0202343	पोड्डुतुरी भूलक्ष्मी ()
तालुक का नाम: निज़ामाबाद					
गांव का नाम: मुबारकनगर					
1	10	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0050586	पी वी कृष्णा रेड्डी सॉन ऑफ़ वेंकट नारायण रेड्डी ()
2	11	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.07082	पी वी कृष्णा रेड्डी सॉन ऑफ़ वेंकट नारायण रेड्डी ()
3	7	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0809371	पी सुदर्शन रेड्डी सॉन ऑफ़ चिन्नारेड्डी ()
4	9	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0556443	पी सुदर्शन रेड्डी सॉन ऑफ़ चिन्नारेड्डी ()
5	9	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0252928	पी वी कृष्णा रेड्डी सॉन ऑफ़ वेंकट नारायण रेड्डी ()
			कुल	0.4249199	

[फा. सं. EE/NHP/NH63/LA/3a/Bhoomirasi/2021-22/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2022

S.O. 5798E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O No. 3054, dated on 5th July 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Maintenance, management and operation of NH-63 on the stretch of land from **Km. 3.610 to Km 4.800 at Km. 4/4 of Nizamabad-Jagdalpur section(RDO office, Nizamabad) in the district of NIZAMABAD in the state of TELANGANA.**

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Namasthe Telangana*”(Telugu) and “*The Hindu*”(English) both dated on **24 August 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the competent Authority has received no objections;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-63 in the stretch of land from Km 3.610 to Km 4.800 at Km 4/4 of Nizamabad-Jagdalpur section(RDO office, Nizamabad) in the district of NIZAMABAD in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: NIZAMABAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Makloor				
	Village: Borgoan (K)				
1	632	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0025293	Road
2	632	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0025293	S R Gangadhar
3	632	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0050585	Erram Gangadhar
4	633	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0050585	S R Gangadhar
5	633	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0151757	Road
6	633	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0075879	Narendhar Reddy

7	633	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0025293	Shyam Rao
8	690	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0126464	Road
9	690	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0151757	Venkat Reddy
10	690	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0151757	Ashok Goud
11	690	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0075879	Narendhar Reddy
12	691	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0151757	Road
13	691	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.0556443	Venkat Reddy
14	692	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.0050586	Road
15	692	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.0202343	Podduturi Bhoolaxmi
Taluk: Nizamabad					
Village: Mubaraknagar					
1	10	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.0050586	P V Krishna Reddy son of Venkat Narayan Reddy
2	11	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.07082	P V Krishna Reddy son of Venkat Narayan Reddy
3	7	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.0809371	P Sudarshan Reddy Son of Chinnareddy
4	9	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.0556443	P Sudarshan Reddy Son of Chinnareddy
5	9	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.0252928	P V Krishna Reddy son of Venkat Narayan Reddy
			TOTAL	0.4249199	

[F. No. EE/NHP/NH63/LA/3a/Bhoomirasi/2021-22/3D]

RAJESH GUPTA, Director